प्रेस विज्ञप्ति
01.04.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने माननीय विशेष न्यायाधीश का न्यायालय, असम, गुवाहाटी के समक्ष श्रीमती सुकन्या बोरा, एसीएस (से बर्ख़ास्त), तत्कालीन अतिरिक्त उपायुक्त (विकास), कामरूप (मेट्रोपॉलिटन), गुवाहाटी, असम, के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए की धारा (3 के अंतर्गत परिभाषित तथा धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय धन शोधन के अपराध के लिए एक अभियोजन शिकायत दायर की है।

ईडी ने सतर्कता पुलिस स्टेशन, मुख्यमंत्री विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ (सीएमएसवीसी), असम पुलिस, गुवाहाटी द्वारा श्रीमती सुकन्या बोरा के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत उनके ज्ञात स्रोतों से अधिक असंगत संपत्ति अर्जित करने के संबंध में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच प्रारंभ की। तत्पश्चात सीएमएसवीसी ने माननीय विशेष न्यायाधीश, असम, गुवाहाटी के समक्ष आरोपपत्र दायर किया। मामले में संज्ञान लिया जा चुका है तथा विचारण)ट्रायल) जारी है।

ईडी की जांच में यह उजागर हुआ कि श्रीमती सुकन्या बोरा, जिन्होंने वर्ष 2015 में असम लोक सेवा में लगभग ₹38,000 प्रतिमाह के प्रारंभिक वेतन पर सेवा प्रारंभ की थी, ने 01.03.2017 से 28.02.2023 की जांच अवधि के दौरान लगभग ₹7.94 करोड़ मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियाँ अर्जित कीं, जो उनके ज्ञात आय के स्रोतों की तुलना में अत्यधिक असंगत हैं। असंगत संपत्तियों का प्रतिशत 786.26% पाया गया।

ईडी की जांच में आगे यह पाया गया कि श्रीमती सुकन्या बोरा ने विभिन्न पदों पर रहते हुए, जिनमें सर्किल अधिकारी, हाजो राजस्व सर्किल भी शामिल है, म्यूटेशन, पंजीकरण तथा भूमि विक्रय अनुमति के लिए आवेदकों से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से अवैध पारितोषिक एकत्रित किया। इस प्रकार अर्जित अपराध की आय को बेनामी संपत्ति लेनदेन के जटिल तंत्र, अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खातों के माध्यम से परतन (लेयरिंग), तथा एक सैलून व्यवसाय फर्म के माध्यम से हस्तांतरित (रूटिंग) करके व्यवस्थित रूप से शोधन किया गया।

पूर्व में, ईडी ने दिनांक 09.04.2025 के अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से पीएमएलए की धारा 5 के तहत लगभग ₹7.33 करोड़ मूल्य की अचल एवं चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया था, जिसकी पुष्टि माननीय न्याय-निर्णयन प्राधिकारी (पीएमएलए), नई दिल्ली द्वारा 16.09.2025 के आदेश के माध्यम से की गई।

कुर्क संपत्तियों में चार अचल संपत्तियाँ यथा मोरीगाँव में भूमि; बाघोर्बाड़ी, गुवाहाटी में भूमि; हतीगाँव, गुवाहाटी में भूमि; तथा जयनगर, गुवाहाटी में एक फ्लैट और एचडीएफसी बैंक में संधारित एक बैंक खाता शामिल है, जिसमें लगभग ₹65.54 लाख की शेष राशि है।

आगे की जांच जारी है।